कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल Atus of supposed tes forms \$ 2mg 2003 474-47 / mg /16/30/3/8 है। लिस्पानित प्रमान में प्राति हिर्मिका mites gum you ना ना DU211, अगर्या अत्रेश लंड विधान विभाग की 11103/16 सचिव/आयुरत र्ज. सारान, उच्च शिक्षा विभा

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्रू भोपाल 13/2016 3/1A) 9, KM विषय :-निलिय मिराम प्राचित्र मानामा डाक्का आधारत र न्य Monums 9/90 entron song w P 8 13/16 5/120 tate simila EMM 30 4/ उ सार्थ है। में कार्म मक or place Fre 109 Styan dom 033 20-1100 5 Jan 8 57 87 आरी किलारी PZ=11 -अन्त्रमेरन 33/6 स्मान्य प्रति हस्यासवर्ष 29/02/16



## IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at **GWALIOR**

Process Id: 5132/2016

WP/813/2016

FOR ADMISSION

Fixed for 21-03-2016

DA- 05

Respondent No. 2

RAD

From

Deputy Registrar, **High Court of MP** Bench at Gwalior

To,

The Commissioner, Higher Education Department, Govt. of M.P., Satpura Bhawan, Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Gwalior 15-02-2016

Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/813/2016

Sir/Madam,

2184

I am directed to inform you that one Smt. Karuna Bajpai has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/813/2016

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 21-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

Section Officer

High Court Of Madhya Pradesh Bench Gwalion

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विमाग मंत्रालय

21141ch (shin 4-3-)6 कमांक 474 /283/ 2014 / 16 सिविल प्रकिया संहिता 1990 (1908 का अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-1 तथा -1 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिश्चिम्त अन्तिस्टिश अग्निस्टिश अग्निस्टिश अग्निस्टिश अग्निस्टिश करते हुए अतिश्चिम्त अग्निस्टिश अग्निस्टि

मारिभे - भावल संग्रीम १ महिल कमांक 00 8 13 116 CLOSO !! CITATED PARIST अटापफ

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके और से प्रमारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश धिधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तथ्यों तथा उत्तरंदायित्वों के अतिरिवत वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरें नीचे दिये गये हैं. निम्नलिखित कार्य करेगा:-

प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की, आवश्यकता हो, और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि मानले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिनाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपीर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकम पर विधि विनाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विनाग की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

- समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा । 2/
- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता; से सम्पर्क करेगा ।
- शासकीय अधिवक्ता की भेसहायता से लिखित / कथन उत्तर तैयार करवाएगा ।
- महत्वपूर्ण / नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित / कथन या उत्तर विभागीय / प्रशासकीय अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-
- वाद / पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका ।
- प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप ।
- उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साध्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है ।
- मामले विश्वीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में वाद की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।
- 6/ मामले की तैयारी और संचालन में शासकीय अधिववता का सहयोग करना और मामले के प्रकम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा ।
- जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता हैं। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा ।
- 8/ अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही करने के लिये इस विभाग को भेजेगा ।

9/ यह देखना कि आवेदन करने, प्रभाणित प्रतियाँ प्राप्त करनें ,रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हों ।

10 / जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता हैं, वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । यह वर्तमान पद भार देने के पश्चात् भी तब तक प्रभाशे अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।

प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव मद्द /सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावेज अप्रकटित नहीं रह जावे ।

महत्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा ।

13/ जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव, को पक्षकार बनाया गया हैं, ऐसे नामलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघातिशीय आवेदन दायर कर विलोपित करवायें ।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

। मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विमान

9040. उशिवि/मंत्रालय/न्याप्र/ 1.6 प्रतिलिपि:-

मंत्रालय, भोपाल भोपाल, दिनांक ... 4-3

महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय म०प्र० जन्तपुर/इन्दौर/ग्वालियर संभाग म.प्र. की ओर । 2/

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग विध्याचल भवन भोपाल संबंधित जिलाध्यम आविष्यम् (१९)

प्रमारी अधिकारी की आर अग्रेपित । साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मानलें में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैवं ही भेजना चाहिये वाद पत्र की प्रति इस सुनवाई हेतु नियत की गई थीं / हैं ।

5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक , उच्च शिक्षा .. की ओर सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु ।

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिह्मभविना

नंत्रालय, भोपाल